न्यायालय तहसीलदार, रानीवाड़ा जिला जालोर

जरीन अधिकारी का नाम :– शंकरलाल मीना R.T.S

सायल बनाम गैरसायल

पटवारी हल्का
वणधर

भावराराम पुत्र हंजाजी जाति पुरोहित ग्रा० खावलावास

अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मुकद्दमा संख्या :– 112/19

निर्णय

दिनांक :– 18.9.19

पटवारी हल्का ....वणधर.... द्वारा गैरसायल के विरूद्ध संवत् ....2076.... मौजा ....खावलावास.... खसरा नम्बर ....191, 192.... रकबा 0.06, 0.06 हैक्टेयर किस्म ....[illegible].... पर अतिक्रमण ....[illegible].... बनाकर कब्जा करने से धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत खसरा परिवर्तनशील पी॰14 व धारा 91 की रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक से प्रमाणित करवाते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत की, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर, गैरसायल को अपना जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु, नोटिस जारी किए गए।

गैरसायल का नोटिस तामील हो जाने के बावजूद भी, अतिक्रमण के संबंध में गैरसायल द्वारा कोई जवाब या साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही करना चाहता है। इससे साबित होता है कि गैरसायल ने राजकीय भूमि पर जबरन अतिक्रमण किया है, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की तहत् अवैध है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को अतिकर्मी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उक्त विवेचन अनुसार गैरसायल को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् अतिकर्मी घोषित किया जाता है तथा गैरसायल को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किए जाते हैं। गैरसायल अतिक्रमण का दोषी पाए जाने से बतौर जुर्माना, लगान दर ....1–00.... का पचास गुणा के हिसाब से रूपये ....50/.... अक्षरे राशि रूपये ....पचास रूपये मात्र.... का जुर्माना लगाया जाता है, जो गैरसायल से वसूल किया जाए। पटवारी हल्का को आदेश दिए जाते हैं कि आप द्वारा प्रस्तुत, धारा 91 की रिपोर्ट में वर्णित अतिक्रमित भूमि से गैरसायल को मौके से 15 दिन में बेदखल करें तथा जुर्माना राशि वसूल कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। उक्त जुर्माना राशि की माँग तहसील राजस्व लेखा के रजिस्टर ''घ'' में दर्ज करवाई जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाख़िल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....18.9.19.... को सरे इजलास सुनाया गया।

रजिस्टर "घ" के पृष्ठ संख्या ....
पर 91 जुर्माना लगान सिवायचक
रु. ....50/– .... 140/ की मांग
दर्ज की गई

तहसीलदार रानीवाड़ा

सहायक राजस्व लेखाकार
रानीवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Shankar Lal Meena
Date: 2019.12.11 19:00:32 IST
Reason: SelfAttested